

S.M.O
B.M.
01/07/20

4
-2/4

संख्या:एच0टी0सी0-एफ(1)-4/2017.
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

प्रेषक

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

प्रेषित

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-02



दिनांक, शिमला-02

30-06-2020

विषय:

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमेंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं०: 8-4/2018-Udyan(M), दिनांक 30-05-2020 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 में नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमेंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने हेतु सरकार की स्वीकृति निम्न रूप में प्रदान करने का निदेश हुआ है:-

- i) योजना के अन्तर्गत 500 मी० टन कीनू/मालटा/संतरा का प्रोक्योरमेंट ₹ 7.50 (श्रेणी-बी) व ₹ 7.00 (श्रेणी-सी) प्रति कि० ग्राम तथा 100 मी० टन गलगल का प्रोक्योरमेंट ₹ 6.00 प्रति कि० ग्राम की दर से किया जाएगा।
- ii) कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 2.65 प्रति कि० ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.00 प्रति कि० ग्राम की दर से हैंडलिंग चार्ज दिए जाएंगे।
- iii) कल्पित विक्रय वसूली को कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 3.50 प्रति कि० ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.50 प्रति कि० ग्राम रखा जाएगा।
- iv) योजना के अन्तर्गत कुल 54 प्रोक्योरमेंट केन्द्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा जरूरत पडने पर बाद में और प्रोक्योरमेंट केन्द्र जरूरत के आधार पर खोले जाएंगे जिनका संचालन एच०पी०एम०सी० व हिमफैड अपने स्टॉफ द्वारा ही करेंगे।

जारी है...

Sh. Susheel Hto

02/07/2020

(M.O. (Mkt))

- v) भण्डारन व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी फलों का प्रोक्योरमेंट 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।
- vi) यह योजना राज्य में 21-11-2020 से 15-02-2021 तक लागू रहेगी।

आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार करें ताकि राज्य के फल उत्पादक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

भवदीय,

सचिव (उद्यान)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन: उपरोक्त दिनांक, शिमला-171002
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अवर सचिव (सहकारिता), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. प्रधान सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार, शिमला-02 को उनके यु0ओ0 संख्या Fin-IF(C)10-19/2018-L, दिनांक 24-06-2020 के संदर्भ में।
3. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मंत्रीपरिषद की दिनांक 01.06.2019 की बैठक में चर्चा की गई मद संख्या:42 के संदर्भ में।
4. प्रबन्ध निदेशक, एच0पी0एम0सी0, निगम विहार, शिमला-02
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमफैड, शिमला-03
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क हि0प्र0, शिमला-02
7. निजी सचिव, उद्यान मंत्री, हि0 प्र0, शिमला-02
8. गार्ड नरित।

सचिव (उद्यान)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

Annexure-“I”

LIST OF COLLECTION CENTRES ALONG WITH PROCUREMENT AGENCY APPROVED FOR THE PROCUREMENT OF KINNOW /MALTA /SANGTRA AND GALGAL FRUITS UNDER CITRUS MIS-2020-21 AND SHALL BE OPENED AS PER DEMAND OF THE FARMERS OF THE AREA

Name of District	Sr. No.	Name of Collection Centre	To be operated by.
Kangra	1	Baijnath	HPMC
	2	Bhogarwan	HPMC
	3	Bankhandi	HIMFED
	4	BheduMahadev	HIMFED
	5	Dhaliara	HIMFED
	6	Dadasiba	HPMC
	7	Indpur	HPMC
	8	Jachh	HIMFED
	9	Jawalamukhi	HIMFED
	10	Jawali	HPMC
	11	Kandrori	HPMC
	12	Khundian	HPMC
	13	KasbaKotla	HPMC
	14	Lunj	HIMFED
	15	Lambagaon	HIMFED
	16	NagrotaBagwan	HIMFED
	17	NagrotaSurian	HPMC
	18	Panchrukhi	HIMFED
	19	Pragpur	HPMC
	20	Ranital	HIMFED
	21	Shahpur	HPMC
Mandi	1	Baryara	HPMC
	2	Chailchowk	HPMC
	3	Dharampur	HPMC
	4	Jarol	HPMC
	5	Joginder Nagar	HPMC

	6	Kotli	HPMC
	7	Nalsar	HPMC
	8	Rewalsar	HPMC
	9	Sarkaghat	HPMC
	10	Shaulikhad	HPMC
	11	Suradi	HPMC
	12	Taliyar	HPMC
	13	Samrahan	HPMC
Una	1	Amb	HIMFED
	2	Bangana	HIMFED
	3	Gagret	HIMFED
	4	Saloh	HIMFED
	5	Una	HIMFED
Hamirpur	1	Bijhri	HPMC
	2	Hamirpur	HIMFED
	3	Nadaun	HIMFED
	4	Sujanpur	HIMFED
	5	Tarkwari (Bhoranj)	HIMFED
Bilaspur	1	Baroha	HPMC
	2	Kalol	HPMC
	3	Nihari	HPMC
	4	Nihal	HPMC
	5	Swarghat	HPMC
Sirmour	1	Bagthan	HPMC
	2	Dhaulakuan	HPMC
Solan	1	Nalagarh	HPMC
	2	Parwanoo	HPMC
Kullu	1	Luri	HIMFED
Total:-	54		